मुख यालय कर्मचारी राज य बिमा निगम पंचदीप भवन सी.आइ.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002		HEADQUARTERS EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION PANCHDEEP BHAWAN C.I.G. ROAD, NEW DELHI-110002

सं.-वी-11/14/1/2010-जनसंपर्क दिनांक: 30.05.2018

प्रेस प्रकाशनी

(1) देश के सभी जिलों में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय खोलना

(2) क.रा.बी. निगम अस् पतालों में नर्सिंग इंटर्नशिप कार्यक्रम

(3) आशोधित बीमा चिकित् सा व यवसायी (आई एम पी) योजना, 2018

(4) रांची (झारखंड), पुणे (महाराष ट्र), पटना (बिहार) तथा बहादुरगढ़ (हरियाणा) में क.रा.बी. निगम अस् पतालों का निर्माण तथा उन् नयन

(5) क.रा.बी. निगम अस् पताल, वाराणसी, उ.प्र. में अति विशिष् टता उपचार की सुविधाएं

*****

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स् वतंत्र प्रभार), भारत सरकार की अध् यक्षता में दिनांक **29/05/2018** को आयोजित क.रा.बी. निगम की **174वीं बैठक** के दौरान इसके सेवा सुपुर्दगी तंत्र में सुधार हेतु कई महत् वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में भाग लेने वाले अन् य गणमान् य व यक्तियों में श्री हीरा लाल सामरिया, भा.प्र.से., सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार; श्री राज कुमार, भा.प्र.से., महानिदेशक, क.रा.बी. निगम; श्री मनीष कुमार गुप् ता, भा.प्र.से., संयुक् त सचिव; श्रीमती संध् या शुक् ला, भा.ले. एवं ले. सेवा, वित् त आयुक् त, क.रा.बी. निगम; माननीय सांसद, कर्मचारी एवं नियोक् ता महासंघ/संघ का प्रतिनिधित् व करते हुए क.रा.बी. निगम सदस् य; राज् य सरकारों के प्रतिनिधि और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा क.रा.बी. निगम के अधिकारी सम्मिलित थे।

बैठक के दौरान निम् नलिखित महत् वपूर्ण निर्णय किए गए:-

<u>देश के सभी जिलों में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय खोलना:</u>

देश के सभी जिलों में चिकित् सा सुविधाएं सुदृढ़ करने हेतु देश के प्रत् येक जिले में एक क.रा.बी. निगम औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डी सी बी ओ) खोलने का निर्णय बैठक के दौरान किया गया। क.रा.बी. निगम औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डी सी बी ओ) आशोधित नियोक् ता उपयोग औषधालय तथा जिलों में बीमा चिकित् सा व यवसायियों को औषधियों के वितरण, नकद हितलाभ के भुगतान, जिले में व याप्ति हेतु सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक् त प्राथमिक चिकित् सा देखरेख, द्वितीयक चिकित् सा देखरेख हेतु रेफरल, द्वितीयक देखरेख रेफरल बिलों की संवीक्षा आदि कार्य करेंगे। क.रा.बी. निगम, औषधालय-सह-शाखा कार्यालय की स् थापना तथा प्रचालन लागत का वहन क.रा.बी. निगम अस् पतालों के व यय के समान व यय को साझा किए बिना करेगा।

<u>क.रा.बी. निगम अस् पतालों में नर्सिंग इंटर्नशिप कार्यक्रम:</u>

बैठक के दौरान क.रा.बी. निगम अस् पतालों में नर्सिंग इंटर्नशिप कार्यक्रम आंरभ करने का निर्णय किया गया। यह कार्यक्रम विधिवत रूप से पंजीकृत नए ग्रेजुएट नर्सों के लिए होगा, जो नियमित स् टाफ के पर्यवेक्षण में वास् तविक कार्य-स् थल में अपनी कला को निखारना चाहते हैं। क.रा.बी. निगम, ग्रेजुएट नर्सिंग उत् तीर्णों को चिकित् सा व् यवस् था में वास् तविक नर्सिंग कार्यों पर नर्सिंग सिद्धांत और ज्ञान की व् यवहारिकता पर केंद्रित व् यावहारिक कार्य अनुभव देगा। इंटर्नशिप के दौरान 22,000/- रुपये की वृति (समेकित) दी जा सकती है। चयन योग् यता पर आधारित होगा और इंटर्नशिप के लिए स्टाफ नर्सों की संख् या संस् वीकृत संख् या की लगभग 20% होगी।

<u>आशोधित बीमा चिकित् सा व् यवसायी (आइ एम पी) योजना, 2018 :</u>

क.रा.बी. निगम ने पायलट आधार पर आइ एम पी योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए **आशोधित बीमा चिकित् सा व् यवसायी योजना, 2018** को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। इस योजना को आगे आवश् यकतानुसार वर्तमान क्षेत्रों के साथ-साथ नए क्षेत्रों में विस् तारित किया जाएगा।

उस क्षेत्र में, जहां क.रा.बीमा की अपनी चिकित् सा स् थापना नहीं है, अथवा नए कार्यान्वित क्षेत्र में, बीमा चिकित् सा व् यवसायी के साथ टाइ-अप व् यवस् था के माध् यम से नकदरहित प्राथमिक चिकित् सा देखभाल उपलब् ध कराई गई है। क.रा.बी. निगम को बीमाकृत व् यक्तियों को प्राथमिक देखभाल सेवाओं (लैब परीक्षणों और दवाइयों के अतिरिक् त) हेतु निजी व् यवसायियों (आइ एम पी के रूप में) की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

<u>क.रा.बी. निगम अस् पतालों का निर्माण और उन् नयन तथा अति विशिष् टता उपचार का विकास :</u>

बैठक में, चिकित् सा देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए **बहादुरगढ़, हरियाणा में 100 बिस् तरों वाला क.रा.बी. निगम अस् पताल; क.रा.बी. निगम अस् पताल, वाराणसी, उत् तर प्रदेश में अति विशि ष् टता उपचार हेतु 50 बिस् तरों की अतिरिक् त सुविधाओं** तथा **क.रा.बी. निगम चिकित् सा अस् पताल, बिहटा, पटना, बिहार में 100 बिस् तरों वाली चिकित् सा सुविधाओं** के आरंभ करने की सूचना दी गई।

इसके अतिरिक् त, **बि बवेवाड़ी, पुणे में वर्तमान क.रा.बी. निगम अस् पताल को 50 बिस् तर से 200 बिस् तरों वाला (500 बिस् तरों तक उन् नयन के योग् य)** अस् पताल में उन् न ायन तथा **क.रा.बी. निगम अस् पताल, नामकुम, रांची** की क्षमता 75 बिस् तर से 200 बिस् तर तक उन् नयन करने के प्रस् ताव तथा तत् पश् चात **200 बिस् तरों वाले क.रा.बी. निगम अस् पताल, रांची, झारखंड** का अनुमोदन किया गया।

आगे, बैठक में बीमाकृत व् यक्ति को सेवाएं/हितलाभ देने में सुधार संबंधी और अन् य प्रशासनिक मामलों से संबंधित लगभग **20 अन् य कार्यसूची मदों** पर चर्चा की गई तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

भारत में क.रा.बी. योजना

कर्मचारी राज् य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो व् यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ, जैसे उचित चिकित् सा देख-रेख तथा रोजगार चोट, बीमारी, मृत् यु इत् यादि जैसी आवश् यकता के समय नकद हितलाभों की श्रृंखला प्रदान करता है। क.रा.बी. अधिनियम उन परिसरों/परिसीमाओं पर लागू होता है, जहां 10 तथा इससे अधिक व् यक्ति नियोजित हैं। रुपये 21,000/- तक मासिक वेतन आ हरित करने वाले कर्मचारी क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत स् वास् थ् य बीमा व् याप्ति तथा अन् य हितलाभों के हकदार हैं। ये अधिनियम अब देशभर में 8.98 लाख कारखानों तथा स् थापनाओं में लागू है और कामगारों की लगभग 3.19 करोड़ परिवार इकाइयों को हितलाभ प्रदान कर रहा है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, क.रा.बी. योजना की कुल लाभार्थी संख् या 12.40 करोड़ से अधिक है। वर्ष 1952 में इसके आरंभ से, क.रा.बी. निगम ने अब तक 151 अस् पतालों और 1489/174 औषधालयों/भारतीय चिकित् सा पद्धति इकाइयों, 815 शाखा/भुगतान कार्यालयों तथा 63 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स् थापना की है।

****